



## प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 20.02.21

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:-

शातिर गैंगस्टर व हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त मिश्रीलाल पुत्र पुतूलाल कोरी एवं उसके गैंग के सदस्यों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत की गई कार्यवाही, लगभग 1 करोड़ 5 लाख रुपये कीमत की संपत्ति की गयी

### जब्त



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री विजय दुल के निर्देशन में जनपद खीरी पुलिस द्वारा अपराध की रोकथाम व शातिर अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही निरंतर की जा रही है। खीरी पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत अपराध से अर्जित की गयी संपत्ति के जब्तीकरण की कार्यवाही के क्रम में पूर्व में 22 अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए कुल चार करोड़ साठ लाख तिरानवे हजार सात सौ नवासी रूपए (4,60,93,789/- ₹0) की चल व अचल सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही की जा चुकी है। इसी क्रम में दिनांक 20.02.21 को थाना धौरहरा पुलिस एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा शातिर हिस्ट्रीशीटर अपराधी मिश्रीलाल पुत्र पुतूलाल कोरी एवं उसके गैंग के अन्य सदस्य शोभित, रोहित निगण मोरिआना मनिहार वार्ड कस्बा व थाना धौरहरा खीरी के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत लगभग एक करोड़ पांच लाख तैंतीस हजार पांच सौ पचपन रूपये (1,05,33,555/- ₹0) कीमत की संपत्ति

जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी है। जिसमें अभियुक्तगण द्वारा अपराध कारित करके प्राप्त धन से अवैध रूप से निर्मित किया गया 1900 वर्ग फीट पक्का मकान व दुकान शामिल हैं। अभियुक्त मिश्रीलाल व अन्य अभियुक्तगण शातिर किस्म के अपराधी हैं जिनके द्वारा अवैध शराब का कारोबार किया जाता है।

### **कुर्क की गई सम्पत्ति का विवरण-**

01 पक्का मकान व दुकान (क्षेत्रफल लगभग 1900 वर्ग फीट) कीमत 1,05,33,555/-  
रु0

## थाना नीमगांव पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए 04

### अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध क्रिया-कलापो के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना नीमगांव पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए 04 अभियुक्तों 1. रामसेवक पुत्र दुजईलाल 2. रमेश कुमार पुत्र रामसेवक 3. आकाश उर्फ सरोज पुत्र रामपाल 4. अमर सिंह पुत्र कैलाशराज नि0गण मिर्जापुर थाना नीमगांव जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से कुल 1260 रुपये व 52 अदद ताश के पत्ते बरामद किए गए। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु0अ0सं0 35/21 धारा 13 जुआ अधि0 पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

थाना फूलबेहड़ पुलिस द्वारा अवैध तमंचा व कारतूस सहित अभियुक्त

सुन्दर को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना फूलबेहड़ पुलिस द्वारा अभियुक्त सुन्दर पुत्र जगमोहन नि0 अंजनापुर थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु0अ0सं0 70/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

**थाना खीरी पुलिस द्वारा 02 नफर वांछित अभियुक्तों को किया गया**

**गिरफ्तार**



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में सम्पूर्ण जनपद में वांछित वारण्टियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान थाना खीरी पुलिस द्वारा 02 नफर वांछित अभियुक्तगण संबंधित मु0अ0सं0 375/20 धारा 420/306/506 भादवि0 1. मुर्तजा पुत्र वली शाह नि0 मोहल्ला कटरा कस्बा व थाना खीरी 2. मेहताब पुत्र कुतुबुद्दीन नि0 मोहल्ला डीहपुर कस्बा व थाना खीरी को गिरफ्तार किया गया।

**थाना खीरी पुलिस द्वारा 02 नफर वांछित अभियुक्तों को किया गया**  
**गिरफ्तार**



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में सम्पूर्ण जनपद में वांछित वारण्टियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान थाना सिंगाही पुलिस द्वारा 02 नफर वारण्टी अभियुक्तगण संबंधित अ0सं0 9891/09 धारा 9/51/29/27 फॉरेस्ट एक्ट 1. नरेश पुत्र छोटे नि0 भैरमपुर थाना सिंगाही खीरी 2. (हिस्ट्रीशीटर) कक्का सिंह पुत्र मान सिंह नि0 ग्राम मांझा थाना सिंगाही खीरी को गिरफ्तार किया गया।

**थाना फरधान पुलिस द्वारा 05 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित अभियुक्त अवधेश को गिरफ्तार किया गया**

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण एवं बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान थाना फरधान पुलिस द्वारा 05 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित अभियुक्त अवधेश पुत्र बलराम नि० धौरहरा खुर्द थाना फरधान जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु०अ०सं० 34/21 धारा 60 आबकारी अधि० पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

### वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए निम्नलिखित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया-

- थाना मैगलगंज पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 70/21 धारा 354क/506 भादवि व 7/8 पाँक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त मंदेश जलवीर सिंह नि० ककरहा थाना मैगलगंज जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- थाना फूलबेहड़ पुलिस द्वारा अ०सं० 2383/14 धारा 392/411 भादवि में वारंटी अभियुक्त सुन्दर पुत्र जगमोहन नि० अंजनापुर थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- थाना फूलबेहड़ पुलिस द्वारा अ०सं० 8023/07 धारा 363/366/376 भादवि में वारंटी अभियुक्त सुरेश कुमार नि० पूर्वागौण थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा अ०सं० 102/19 थाना 354 भादवि व 7/8 पाँक्सो एक्ट में वारंटी अभियुक्त राजा उर्फ मोहम्मद यामीन पुत्र मोहम्मद असलम नि० मीरजद पुरवा थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।